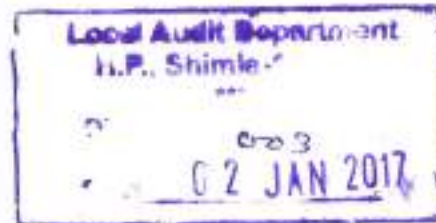


To

The Public Information Officer(RTI),
Directorate of Local Audit Department,
Himachal Pradesh Shimla-9.

Dated: 27th December, 2016.

Sub: Information under RTI Act, 2005.



Respected Sir,

Kindly supply the following information under RTI Act, 2005. I hereby enclosed the IPO

No 36F225367 dated 27.12.2016 of Rs.10/-.

"Supply the copy of Audit report of Shri Shoolini Temple Trust, Solan for the period of
Calendar Year 2014."

Thanking You.

Yours faithfully,

A handwritten signature in blue ink that reads "Deepak".

Deepak Kumar,
House No.206, Phase-1,
Near Housing Board Colony,
Saproon, Solan, H.P. PIN 173211.

7
30/12

HS

SH
29/12

AM

From:

Director,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh Shimla-171009

To

Shri Deepak Kumar,
House No. 206, Phase-I,
Near Housing Board Colony,
Saproon, Solan, H.P. Pin- 173211.

Dated : Shimla -9 the 04 JAN 2017

Subject: **Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

I am to refer to your letter No. nil dated 27.12.2016 (received in this office on dated 02.01.2017) vide which you have demanded the copy of the Audit Report of Shri Shoolini Temple Trust, Solan for the calendar year 2014 and to say that this department has audited the accounts of the said trust for the period of 01.01.2012 to 31.12.2014 in one single audit and the Audit Report thereof consist of 35 (Thirty Five) A-4 size pages which can be supplied to you on deposit of further fees of Rs. 111 (in case you desire the information via registered mail) or Rs. 94 (via ordinary mail) worked out as under:

		<u>Ordinary Post</u>	<u>Registered Post</u>
Application Fees		Rs. 10	Rs.10
Fees for information		Rs.70/- (35 pages @ Rs.2)	Rs.70/- (35 pages @ Rs.2)
<u>Postage Charges</u>			
For this letter (<u>Ordinary post</u>)	-	5	5
For subsequent communication via <u>Ordinary post</u>	19	19	----
For subsequent communication via <u>Registered post</u>	36	----	36
<u>Total Fees</u>		104	121
<u>Less</u>			
Fees already paid Rs.10		10	10
<u>Fees now payable</u>		<u>94</u>	<u>111</u>

However, the said audit report is also available on the official website of this department.

Yours faithfully,


Public Information Officer-
Cum- Additional Director
Local Audit Department,
H.P.Shimla-171009.



To

The Public Information Officer(RTI)-cum-
Additional Director,
Local Audit Department,
H.P.Shimla-9.

Sub: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Kindly refer to your office letter No.1-515/2005 Fin(LA)Vol-8-048 dated 4th January, 2017. I'm enclosing herewith the fee of Rs.100/-(Rupees One Hundred Only) in the shape of IPO No.49H 734189 and request you to supply the copy of the Audit report of Shri Shoolini Temple Trust, Solan for the calendar year 2014.

'Thanking You'.

Yours faithfully,

Encls:IPO No.49H 734189 Rs.100/-

Deepak
Deepak Kumar,
House No.206, Phase-1,
Near Housing Board Colony,
Saproon, Solan H.P.

?
10/10/17
[Signature]
19/1
AAI

No. I-515/2005 -Fin (LA)-Vol-8 - 344
Government of Himachal Pradesh,
Local Audit Department,

From;

The Director
Local Audit Department
Himachal Pradesh, Shimla-171009.

To

Shri Deepak Kumar,
House No. 206, Phase-I,
Near Housing Board Colony,
Saproon, Solan, H.P. Pin-173211.

Dated, Shimla-171009, the 23 JAN 2017 2017

Subject:- Information under the RTI Act, 2005.

Sir,

With reference to your RTI application No. Nil dated 27.12.2016 (received in this office on 02.01.2017) and subsequent deposit of Rs. 100 on account of further fees by you vide your letter No. Nil dated Nil (received in this office on 19.01.2017) find enclosed herewith the information as requested by you consisting of 35 No. of A- 4 size pages.

In case you are not satisfied with this information you may prefer an appeal before Shri Dev Dutt Sharma, Director, Local Audit Department, H.P. Shimla-9-the designated appellate authority within next 30 days.

Yours faithfully,



(Anil Sharma)

Public Information Officer-cum-
Additional Director,
Local Audit Department,
HP Shimla-9.

Encl. As above (Page 1 to 35)

Phone No. 0177-2620046 *del*

मौ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014

भाग-एक

1 प्रारम्भिक:-

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (c)(ii) के अन्तर्गत तथा वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्या: भाषा (ए)(3)/85-पार्ट-II, दिनांक 17.01.89 के अनुसार, हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं एवं पूर्व विन्यासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के कृतिगत, मौ शूलिनि माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन (हि0प्र0) के अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार मन्दिर आयुक्त, मन्दिर उपायुक्त एवं मन्दिर अधिकारी न्यास में कार्यरत रहे:-

मन्दिर आयुक्त	कार्यकाल	मन्दिर उपायुक्त	कार्यकाल	मन्दिर अधिकारी	कार्यकाल
श्री सी0पाल रासु	29-11-11 से 29-04-12	श्री आर के शर्मा	05-11 से 05-12	श्री धनवीर ठाकुर	09-09 से 18-08-12
श्रीमती मीरा मोहंती	30-04-12 से 01-07-13	श्री हरबंस सिंह नेगी	05-12 से 01-13	श्रीमती कविता ठाकुर	03-09-12 से 14-08-14
श्री मदन चौहान	02-07-13 से	श्री टसी संदूपा	01-13 से 03-01-15	श्री जिया लाल चौहान	14-09-14 से

(ग) मौ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सार:-

क्रमांक	पैरा संख्या	पैरे करशरीर	विवरण
1	9 (ग)	माता के छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे	विवरण पैरे में दिया गया है
2	12	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां किये जाने बारे	विवरण पैरे में दिया गया है

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त

पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है।

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी (ले0प्र0) द्वारा मॉ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, के सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/12, 8/13 तथा 8/14 एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/12, 8/13 तथा 8/14 के लेखाओं का भ्रमण किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैसग्राफो में समाविष्ट किया गया है।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाए जाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

मन्दिर न्यास के अवधि 1.01.2012 से 31.12.2014 के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹26000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमालय प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प्र0) के पत्र संख्या 07 दिनांक 17.04.15 द्वारा मन्दिर ट्रस्ट से अनुरोध किया गया था तथा मन्दिर ट्रस्ट द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या "94153" दिनांक 25.04.14 (Indus Land Bank) द्वारा कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास के अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है, जिसका विस्तृत विवरण गणना परिशिष्ट "ख" पर भी संलग्न है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	बाज से आय	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1.01.12 से 31.12.12	1,40,83,136	45,32,705	14,21,734 (13,38,390+83,344)	2,00,37,575	50,47,806	1,49,89,769
1.01.13 से 31.12.13	1,49,89,769	38,87,551	14,20,451 (12,70,516+1,49,935)	2,02,97,771	12,53,869	1,90,43,902
1.01.14 से 31.12.14	1,90,43,902	52,71,213	18,32,207 (17,48,787+83,420)	2,61,47,322	18,59,673	2,42,87,649

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

अन्तर्शेष का विवरण:-		
दिनांक 31.12.14 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष	(परिशिष्ट "ख")	17,03,694
दिनांक 31.12.14 को सावधि खातों में जमा राशि	(परिशिष्ट "ख")	2,25,83,361
दिनांक 31.12.14 को हस्तगत रोकड़ शेष		694
दिनांक 31.12.14 को बैंक (बचत खाते) तथा सावधि जमा तथा हस्तगत के अनुसार शेष		2,42,87,849
दिनांक 31.12.14 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष एवं रोकड़ बही, बैंक (बचत खाते) तथा सावधि जमा के शेष में अंतर (1-5)		रु. 0

5 बैंक समाधान विवरणी:-

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई न्यास की दिनांक 31.12.14 को बैंक समाधान विवरणी (यथा परिशिष्ट "ख-I") पर संलग्न है।

6 सावधि जमा योजना से निवेश:-

मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.14 को किये गये सावधि जमा योजना में निवेश का विवरण यथा (यथा परिशिष्ट "ख-II") पर दिया गया है।

7 बैंक खातों के रख-रखाव के बारे में:-

मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.14 तक बम्हाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सोलन (हि090) में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 9 खाते खुलवाए गये थे। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि सरसल फंडस का निवेश करते समय हि090 सरसल की एन संख्या फिन-आई0एफ (ए) 1-68/91-V, काईनैस डिपार्टमेंट (आईएफ) दिनांक, शिमला-171002, 17.04.14 में दिए गये निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ बही एवं रोकड़ सग्रह रजिस्टर के रख-रखाव बारे:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में दिनांक 26.05.12 से 07.09.12 तक (एन संख्या 91 से 94 तथा 127 इत्यादि पर) ओवर-राइटिंग तथा कटिंग की गई थी तथा इन ओवर राइटिंग्स/कटिंग्स को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं सम्बन्धित प्रतिक्रियाओं को DDO से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

Information supplied under RTI Act to:

3

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not


P.O.-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में वाउचर संख्या अंकित नहीं की जा रही है। अतः रोकड़ बही में वाउचर संख्या का अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वर्ष 2012 के पश्चात के रोकड़ संग्रह रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि रजिस्टर में संलग्न पृष्ठों की कुल संख्या तथा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई भी करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 सोना एवं चांदी:-

(क) अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सोने एवं चांदी की स्थिति यथा परिशिष्ट "ग-1" तथा "ग-2" पर संलग्न है।

(ख) सोने एवं चांदी से सम्बन्धित अभिलेख का सही अनुष्ठाण (maintainance) न करना:-

सोने एवं चांदी के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान 14,400 ग्राम सोने तथा 9,545 किलोग्राम चांदी की प्राप्ति दर्शाई गई थी, परन्तु यह प्राप्ति किन किन तिथियों को किन एसीदों के अंतर्गत किस-किस स्वरूप में कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त की गई थी तथा किस प्रकार उपरोक्त सोने एवं चांदी की मात्राओं की गणना की गई थी, इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। परिणामस्वरूप सोने एवं चांदी की प्राप्त उपरोक्त मात्राओं के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उक्त प्रकार की अनियमितताओं बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु अभी तक इन्हें दूर करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब इस बारे अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) माता के छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट "ग-1" तथा "ग-2" पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा माता के चांदी के 9 छत्रों का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसके लिए 3,663 किलोग्राम चांदी जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त 34,850 ग्राम सोने की मात्रा भी चांदी से निर्मित उक्त छत्रों पर पोलिश करवाने हेतु जारी की गई थी। सोने के पोलिश करने के उपरान्त इन छत्रों का भार 3,694 किलोग्राम (2,053,500 कि.ग्राम के 8 छोटे छत्र) + (1,630,500 कि.ग्राम का 1 बड़ा छत्र) दर्शाया गया था, जोकि जारी की गई चांदी की मात्रा से 21 ग्राम (3,694-3,663) अधिक है। इस से ऐसा प्रतीत होता है

Information supplied under RTI Act to :

4

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
M.P., Shimla-171009.

कि सोने की जारी की गई मात्रा 34.850 ग्राम में से केवल 21 ग्राम का चांदी से निर्मित छत्रों का पोलिश करने के लिए उपयोग किया गया था परन्तु शेष सोने मात्रा $(34.850 - 21.000 = 13.850)$ ग्राम) के बारे में कोई भी अभिलेख अंकेशन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त छत्रों के निर्माण हेतु जारी की गई चांदी की मात्रा में से वास्तव में कितनी Wastage हुई, इस से सम्बन्धित भी सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कोई भी अभिलेख अंकेशन के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण छत्रों के निर्माण कार्य के दौरान Wastage के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में चांदी के 9 छत्रों के निर्माण हेतु दर्शाई गई Wastage का पूर्ण विवरण तथ्यों सहित दिया जाए। इसके अतिरिक्त माता के दरबार के निर्माण हेतु दिनांक 11.07.14 को 5.492 किलोग्राम चांदी तथा माता के चोम्बे के निर्माण हेतु दिनांक 03.06.14 को 0.390 किलोग्राम चांदी कारीगरों को जारी की गई थी, जोकि उनके पास ही पड़ी थी क्योंकि ये निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए थे यद्यपि इसके लिए काफी समय हो चुका है तथा ये कार्य अभी तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे।

(घ) चांदी के 9 छत्रों के भार की मात्रा 3.684 को अन्तिम शेष में सम्मिलित न करने के अतिरिक्त माता के दरबार के निर्माण हेतु जारी चांदी की 5.492 किलोग्राम तथा माता के चोम्बे के निर्माण हेतु जारी चांदी की मात्रा 0.390 किलोग्राम को कारीगरों से वापिस न लेने के कारण इन्हें अन्तिम शेष की मात्रा में सम्मिलित न करना:-

अंकेशन को परिशिष्ट "ग-1" तथा "ग-2" पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी से प्रतीत होता है कि यद्यपि मन्दिर न्यास द्वारा तैयार करवाए गए चांदी के 9 छत्रों के भार की मात्रा 3.684 ग्राम को परिशिष्ट "ग-2" पर दर्शाया गया है परन्तु चांदी के छत्रों के भार की उक्त 3.684 ग्राम की मात्रा को परिशिष्ट "ग-1" के चांदी के अन्तिम शेष मात्रा से सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसे चांदी के अन्तिम शेष की मात्रा में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त चांदी से निर्मित माता के दरबार एवं चोम्बे को भी शीघ्र सम्बन्धित कारीगरों से वापिस लेकर मन्दिर मण्डार में जमा करवाया जाए तथा माता के निर्मित छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के भार की मात्रा को अन्तिम शेष में दर्शाकर अनुपालना से आगामी अंकेशन पर जागरूक करवाया जाए।

(ङ) माता के छत्र, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण हेतु नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक चांदी का उपयोग/जारी करना:-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1992 की धारा 12-ए (2)(B) (i) के प्रावधानानुसार मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करवाने हेतु चांदी की उपलब्ध मात्रा का 20% ही उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अंकेशन अर्थात् के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा, उक्त प्रावधानानुसार केवल 7.890 किलोग्राम $(29.448.000 \text{ किलोग्राम का } 20\%)$

Information supplied under RTI Act to :

5

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not


P.O. cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171001, India



20%) चांदी का ही उपयोग किया जा सकता था, परन्तु न्यास द्वारा (परिशिष्ट "ग-1" तथा "ग-2") के अनुसार इन कार्य हेतु 9.545 किलोग्राम चांदी जारी की गई थी, जोकि निर्धारित सीमा से 1.655 किलोग्राम (9.545-7.890) अधिक है। अतः माता के छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण हेतु निर्धारित सीमा से 1.655 किलोग्राम अधिक जारी की गई/उपयोग की गई चांदी बार्रे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(च) हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12-ए (2)(B) (iii) के प्रावधानों को लागू न करना:-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12-ए (2)(B) (iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिकके में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मुल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय/लाभों से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब उक्त अन्य प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(छ) हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12-ए (ii) के प्रावधानों को लागू न करना:-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12-ए (ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 रसीद बुकस के इस्तेमाल में हो रही अनियमितताओं बारे:-

आय की पड़ताल के दौरान रसीद बुकों के इस्तेमाल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा तैयार किए गए रसीद स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि इस रजिस्टर का अनुरक्षण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 1 से 8 में न तो रसीद बुकों के आरम्भिक शेष को दर्शाया गया था और न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें कब-कब छपवाई गई तथा किस-किस तिथि को जारी की

गई इत्यादि, से सम्बन्धित कोई भी विवरण दर्ज था तथा न ही रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों एवं विभिन्न मूल्यवर्ग (denomination) की रसीद बुकों के दर्शाए गये शेषों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था।

(ख) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि रसीद बुकों के आरम्भ में रसीद बुक में संलग्न रसीदों की संख्या को भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार की अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	चयनित माह	रसीद संख्या	रसीद बुक का शीर्ष
1	07/12	201 से 300	1000
2	08/13	301 से 400	1000
3	08/14	501 से 600	1000
4	07/12	201 से 300	501
5	08/13	1201 से 1300	101
6	08/13	601 से 700	51
7	08/14	901 से 1000	51

अतः मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर रसीद बुकस के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल करके तथा उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार कृत कार्यवाई के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

11 गल्ले से प्राप्त आय को सत्यापित न करवाने बारे:-

चयनित मासों में प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में गल्ला खोले जाने पर प्राप्त आय को उस समय वहां उपस्थिति सभी सदस्यों से हस्ताक्षर प्राप्त करके सत्यापित नहीं करवाया गया था। उक्त सत्यापन के अभाव से प्राप्त आय के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब अपेक्षित कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक/माह	गल्ला रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय
02.07.12	105/106	7,08,352
19.06.13	119/120	2,44,231
27.06.13	यथोपरि	6,52,953
18.06.14	133/134	2,11,535
25.06.14	135/136	7,17,490

Information supplied under RTI Act 10 :

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar 7

Whether BPL or not: Not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
U.P. Shree 47447

12 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां किये जाने बारे—

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3 सहपठित धारा 5(4) के अनुसार दैनिक भोगियों कर्मचारियों की नियुक्तियों से सम्बन्धित शक्तियों केवल हि0प्र0 सरकार व मुख्य आयुक्त (मन्दिर) के पास निहित है जिसके अनुसार मन्दिर ट्रस्ट में स्टाफ की भर्ती सरकार की अनुमति/आदेशों के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी। मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट “घ-1” पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दैनिक भोगियों कर्मचारियों जिनकी नियुक्तियां वर्ष 2005 तथा 2006 में की गई थी, को अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹6,72,030 दैनिक वेतन का भुगतान किया गया था:-

वर्ष	राशि
2012	191430
2013	219000
2014	261600
कुल योग	₹6,72,030

उपरोक्त दैनिक भोगी कर्मचारियों जिनको यह दैनिक वेतन का भुगतान किया गया था, उनकी नियुक्तियों किये जाने से सम्बन्धित सरकार की अनुमति गत अंकेक्षण के दौरान भी नहीं दर्शाई गई थी तथा बिना सरकार की पूर्व अनुमति के यह नियुक्तियां किये जाने के कारण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्यां 6(ख) के अन्तर्गत भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु फिर भी इन नियुक्तियों से सम्बन्धित सरकार की अनुमति नहीं दर्शाई गई तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक यह अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 सरकार की अनुमति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि दैनिक भोगियों को किये गये उपरोक्त भुगतान को उचित ठहराया जा सके।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान भी मन्दिर न्यास द्वारा की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित परिशिष्ट “घ-2” पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री चन्द्र शेखर की लेखापाल के पद ₹5000 प्रति मासिक के वेतन पर दिनांक 01.02.2014 से नियुक्ति की गई थी तथा उनके वेतन को माह अगस्त/2014 से ₹6000 प्रति मासिक कर दिया गया था, परन्तु बा-2 आग्रह करने पर भी उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनकी नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त ही नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे भी स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा

Information supplied under RTI Act to :

8

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171004

माह 2/14 से 12/14 के दौरान उन्हें किये गये ₹60,000 के वेतन के भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट "घ-2" पर दिया गया है, को उचित ठहराया जा सके।

- 13 बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही मन्दिर न्यास निधि से ₹81,61,348 का व्यय करना:-

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रबन्ध कोष समिति से अनुमोदित करवाना अपेक्षित होता है, परन्तु इस बारे चर्चा पर अवगत करवाया गया कि वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रबन्ध कोष समिति से अनुमोदित नहीं करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹81,61,348 का व्यय बिना बजट के अनुमोदन से किया गया जिसे अब सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्ति करके अनुमोदित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु तौस कार्रवाई कस्नी सुनिश्चित की जाये।

वर्ष	कुल व्यय
2012	50,47,806
2013	12,53,869
2014	18,59,673
कुल योग	₹81,61,348

- 14 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को किये गये ₹77,00,800 के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे:-

निम्नानुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को माता शूलिनी माता मन्दिर से साध भवन निर्माण हेतु दिनांक 18.2.12 को ₹10,00,000 तथा ₹26.5.12 को ₹32,00,800 का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की पैरा संख्या 13 के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को इसी कार्य हेतु दिनांक 4.11.09 को ₹10,00,000 तथा दिनांक 26.02.11 को ₹25,00,000 का भुगतान किया गया था, परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में किए गए कुल ₹77,00,800 के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं किए गए हैं। अतः इस राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	चैक संख्या/दिनांक	राशि
1	002130, 04/11/09	10,00,000
2	036590, 26/02/11	25,00,000
3	032339, 18/02/12	10,00,000
4	039288, 26/05/12	32,00,800
	कुल योग	₹77,00,800

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar 9

Whether BPL or not: not.

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171004.

15 सविदाकर को दैनिक मजदूरी की ₹3050 का अधिक भुगतान करना:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री शलैन्द्र से मन्दिर के पेंट इत्यादि का कार्य करवाया गया था। मन्दिर के पेंट के कार्य की समाप्ति पर सविदाकार द्वारा मन्दिर के पेंट के कार्य में कार्यरत व्यक्तियों की दिहाडियों से सम्बन्धित जो दस्तावेज/बिल प्रस्तुत किए गए, उनका विवरण मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट "ड" पर प्रस्तुत किया था, जिसकी पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि सविदाकार को निम्नानुसार ₹3050 की दिहाडियों का अधिक भुगतान किया गया था:-

माह/राशि	कारीगर का नाम	अवधि जिसके लिए भुगतान किया गया दर्शाया गया।	जितने दिनों का भुगतान किया गया दर्शाया गया था।	इस अवधि के लिए जितने दिनों का भुगतान बनता था।	जितने अधिक दिनों का भुगतान किया गया था।	मजदूरी की दर	अधिक किया गया अनुचित भुगतान
06/2014 / 52,000/- [5000 (22.06.14)+47000(24.6.14)] - (कार्य पर अमिलेखानुसार कुल ₹92,000 व्यय आया था जिसमें से ₹40000 का भुगतान पहले कर दिया गया था।	श्री सुरज (मिस्त्री)	20.05.14 से 19.06.14	35	31	4	450	1800
	श्री अखिलेश (मिस्त्री)	20.05.14 से 19.06.14	33	31	2	450	900
	श्री मिन्नु (मजदूरी)	20.05.14 से 19.06.14	32	31	1	350	350
						कुल योग	₹3050

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के ध्यान में यह अनियमितता लाये जाने पर मन्दिर न्यास द्वारा सम्बन्धित सविदाकार से ₹3050 की वसूली, रसीद संख्या 3401 दिनांक 26.03.15 द्वारा करके बैंक खाता संख्या 14447 में दिनांक 27.03.15 को जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar 10

Whether BPL or not : not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171001. ee

16 दैनिक वेतन की ₹300 का अधिक भुगतान करना:-

वाउचर संख्या शून्य दिनोंक 03.06.14 ₹23.600, रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 138

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार श्रीमती कुसुम (सफाई कर्मचारी) दिनोंक 20/5/14 तथा 21.05.14 को अनुपस्थित थी, परन्तु उन्हें माह 5/14 में पूरे माह के दैनिक वेतन का भुगतान $(150 \times 31 = ₹4650)$ किया गया था, जबकि कार्य पर उपस्थिति के अनुसार उन्हें $(150 \times 29 = ₹4350)$ ही देय थे। इस प्रकार उन्हें $₹4650 - ₹4350 = ₹300$ का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपयुक्त स्रोत से ₹300 की वसूली करके तथा मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दो दिनों को अनुपस्थिति के मध्यनजर को उनको मिलने वाले आगामी शिववार के अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

17 राजकीय मुद्रणालय शिमला से मुद्रण कार्य न करवाकर खुले बाजार से मुद्रण का कार्य करवाना:-

लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निम्नानुसार आमन्त्रण पत्र एवं हैड बिल्स के मुद्रण का कार्य हिमालय प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर खुले बाजार से करवाया था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया था, जोकि निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर खुले बाजार से करवाए जाने वाले स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

फर्म का नाम	रसीद/बिल संख्या/दिनोंक	विवरण	रोड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि
मैसर्स सहगल प्रिंटर्स एंड पैकर्स, सोलन	(i) 1835 दिनोंक 19.06.12 ₹11130 (ii) 1834 दिनोंक 19.06.12 ₹38949	आमन्त्रण पत्र तथा हैड बिल्स कि प्रिंटिंग	96	7/12	48,079

Information supplied under RTI Act to :

11

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P. Shimla-171009.

18 नियमानुसार codal formalities पूर्ण किये बिना ही क्य किये जाने बारे:-

(क) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वस्तुओं के क्य से पूर्व अवतरण (quotations) आमंत्रित नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त रेगुलेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम 97 तथा 98 के निर्देशानुसार ₹3000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का क्य अवतरणों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जिन प्रकरणों में अवतरण प्राप्त की भी गई थी वहां भी वस्तुओं के क्य के करते समय उक्त नियमानुसार विहित प्रक्रिया, जैसे कि अवतरण संग्रह करने के लिए समिति का गठन किया जाना, सीलबंद अवतरण प्राप्त करना, अवतरण खोले जाने पर क्य समिति सदस्यों द्वारा सत्यापन किया जाना इत्यादि, अपनाई नहीं गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से कायौत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वस्तुओं का क्य नियमानुसार सम्पूर्ण विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	फर्म/व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किया गया	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	टिप्पणी
1	मैसर्स सहगल पिंटर्स एंड पैकर्स, सोलन	आमन्त्रण पत्र तथा हंड बिल्स की प्रिंटिंग (11,130+ 36,949)	96	7/12	48,079	नियमानुसार क्य करने से पूर्व विहित प्रक्रिया जैसे कि क्य समिति का गठन करना, क्य समिति द्वारा अवतरण एकत्रित करना, अवतरणों का खोल खोलने पर उक्त सत्यापन करना, तुलनात्मक विवरणों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन करना आदि नहीं अपनाई गई थी।
2	विनय ट्रेडर्स सोलन।	भंडारे हेतु विभिन्न खादय सामग्रियों के	113	8/13	1,51,733	अवतरण प्राप्त नहीं की गई थी।

Information supplied under RTI Act to:

12

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not.

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009, del

		कय हेतु किया गया भुगतान। (38,634+51242+ 8568+53289)				
3	आल टाइम एजेन्सी सोलन।	पॉलिश से सम्बन्धित वस्तुओं के कय के लिए भुगतान।	138	6/14	42,960	यथोपरि
4	श्री पुर्ण सिंह	माता का छत्र बनाने हेतु किया गया मजदूरी कार्य पर आया कुल व्यय का भुगतान (30,000+7,310)	140 तथा 144	6/14	62,310	यथोपरि
5	श्री रूपी लाल	लकड़ी की बस्तियों को किन्नीर से सोलन तक लाने हेतु किया गया किराए का भुगतान	141	6/14	8000	यथोपरि
6	श्री नन्द राम	ढोल, नगाड़े आदि बजाने हेतु किया गया भुगतान	142	6/14	5000	यथोपरि
7	श्री मनसा राम	लकड़ी की चिराई आदि हेतु किया गया भुगतान	144	6/14	5000	यथोपरि
8	श्रीमती मीना देवी।	कारीगरों के खाने के बिल का किया गया भुगतान	144	6/14	3900	यथोपरि
9	मैडर्ज आल टाइम एजेन्सीस सोलन।	पेट के सम्मान के कय हेतु किया गया भुगतान (48,860+48,050)	144	6/14	96,910	यथोपरि
10	श्रीशालेंदर सिंह	मन्दिर के पेट के कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान (10000+ 30000+5000 +47000)	138,141, 143 तथा 144	6/14	92000	यथोपरि
11	रूपी लाल	माता की डोली बनाने हेतु किया गया मजदूरी का भुगतान। (कार्य पर आया कुल व्यय) 38,936 (माह के दौरान किया गया व्यय) (5000+20000+1500+1 0436)	139,140, 143 तथा 143	6/14	41,936	यथोपरि
			कुल योग		5,55,818	

Information supplied under RTI Act 10 :

13

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not


 P.O.-cum-Additional Director,
 Local Audit Department,
 H.P., Shimla-171009, etc

(ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त कम संख्या 10 तथा 11 पर किए गए व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा इन कार्यों हेतु ₹1,33,936 का भुगतान कार्य के समाप्तन पर किया गया था, परन्तु कार्यों की समाप्ति पर संविदाकारों/कार्यकर्तों द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतिम भुगतान से सम्बन्धित बिलों/रसीदों, जिनका विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है, पर सम्पूर्ण विवरण, जैसे कि यह कार्य कब-कब करवाए गए, इन कार्यों में कार्यरत रहे व्यक्तियों का तिथिवार विवरण इत्यादि क्या था, को दर्ज नहीं था तथा मन्दिर न्यास द्वारा अधूरे बिलों/रसीदों के आधार पर करवाए गये कार्यों की सही मात्रा की पुष्टि किये बिना ही भुगतान कर दिए गए थे। अतः बिलों/रसीदों पर उपरोक्त विवरण न होने के कारण किये गये इन भुगतानों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इन प्रकरणों में न्यास द्वारा अपने स्तर पर छानबीन करके अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपातना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

कर्म/व्यक्ति का नाम जिससे भुगतान किया गया	चेकड नही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	विवरण
श्री शरदर सिंह	138, 141 तथा 143	6/14	92000	मन्दिर भवन में पेंट का कार्य करवाए जाने हेतु किया गया मजदूरी का भुगतान (10000+30000+5000+47000)
रूपी लाल	139, 140 तथा 143	6/04	41,936	भाला की बोली बनाने हेतु किया गया मजदूरी का भुगतान - कार्य पर आया कुल व्यय (5000+20000+1500+10536 = 36,936)
कुल योग			1,33,936	

19 बिलों/कैश मेंमों पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारे-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैश मेंमों पर हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनेन्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट की अभिरूना संख्या फिन 9(सी)ए(3) 6/2006, शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम संख्या 97 तथा 98 के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जोकि सरकारी निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की

Information supplied under RTI Act 16 :

14

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not


P.O. cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171006.

जाए तथा उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 बिलों/कैश मैमों के बिना भुगतान किये जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया निम्नलिखित प्रकरणों में मन्दिर ट्रस्ट द्वारा बिना बिलों/कैश मैमों के ही भुगतान कर दिए थे, जबकि नियमानुसार बिलों/कैश मैमों के बिना कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अनुपालना से अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

फर्म/व्यक्ति का नाम	कय की गई वस्तुओं का विवरण।	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	टिप्पणी
श्री रूपी लाल	दो व्यक्तियों के किराए का ₹500 प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया गया था।	143	6/14	1000	बिल/वाउचर की कुल ₹41,926 के साथ ₹1000 बस किराये की टिकट संलग्न नहीं पाई गई, जिसका भुगतान श्री रूपी लाल को किया गया था।
श्री रूपी लाल	माता की खोली के लिए की संजावट के लिए लकड़ी के 210 झूमर @ 30 प्रति झूमर की दर से कय किये गये लकड़ी के झूमर।	143	6/14	6300	बिल/वाउचर की कुल ₹41,926 के साथ झूमर के कय से सम्बन्धित बिल संलग्न नहीं था, जिसका भुगतान श्री रूपी लाल को किया गया था।
श्री पूर्ण सिंह	माता के छत्र बनाने हेतु पारे (mercury) का कय किया गया था।	140	6/14	1800	बिल/वाउचर की कुल ₹82,310 के साथ पारे के कय किये जाने से सम्बन्धित बिल संलग्न नहीं था, जिसका भुगतान श्री पूर्ण सिंह को किया गया था।

21 सक्षम प्राधिकारी/DDO द्वारा बिलों को पारित किए बिना ही भुगतान किये जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वाउचर DDO द्वारा बिलों/

को पारित किए बिना ही भुगतान कर दिया गया था, जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता

Information supplied under RTI Act to:

15

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009. ee

बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

फर्म/व्यक्ति का नाम	विवरण	सेकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	टिप्पणी
दैनिक भोगियों को भुगतान।	दैनिक वेतन का भुगतान।	96	7/12	18,030	बिल पर DDO का पारित आदेश नहीं था।
होम गार्ड्स को भुगतान।	दैनिक वेतन का मासिक भुगतान।	96	7/12	14,400	यथोपरि
मैसर्ज सहगल प्रिंटर एंड पैकर्स, सोलन	आमन्त्रण पत्र तथा हेंड बिल्स कि प्रिंटिंग हेतु।	96	7/12	48,079 (11,130+36,949)	यथोपरि
विनय ट्रेडर्स सोलन।	विभिन्न खादय सामग्रियों हेतु किया गया भुगतान।	113	8/13	8,568	यथोपरि
दैनिक भोगियों को भुगतान।	दैनिक भोगियों का मासिक भुगतान।	113	8/13	18,600	यथोपरि

22 स्टोर/स्टॉक तथा अन्य रजिस्ट्रों के रख-रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के रख-रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

(क) स्टोर/स्टॉक रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे-

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित कय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक/खादय सामग्री रजिस्ट्रों में नहीं दर्शाई गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। यह प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अन्य मासों में कय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ भी रजिस्ट्रों में न की गई हों, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब इन प्रकरणों के अतिरिक्त इस प्रकार से अन्य समस्त प्रकरणों में भी नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का अनुक्षण करके आगामी अंकेक्षण पर अभिलेख प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाए।

Information supplied under RTI Act 10:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar¹⁶

Whether BPL or not: not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171001

कर्म का नाम	कय की गई वस्तुओं का विवरण	रोकड बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि
मैसर्ज सहगल प्रिंटर एंड पैकर्स, सोलन	आमन्त्रण पत्र तथा हेड बिल्स (11,130+36,949)	98	7/12	48,079
विनय ट्रेडर्स सोलन।	माता के मडारे हेतु विभिन्न खादय सामग्रियां	113	8/13	38,634
यथोपरि	यथोपरि	113	8/13	51,242
यथोपरि	यथोपरि	113	8/13	8,808
यथोपरि	यथोपरि	113	8/13	59,200
आल टाइम एजेन्सी, सोलन।	पोलिश/पेंट से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुएं	138	6/14	42980
नगर मल एंड सन्स सोलन।	हाइवेयर की आइटम्स हेतु	139	6/14	360
यथोपरि	यथोपरि	139	6/14	387
यथोपरि	यथोपरि	140	6/14	221
विभिन्न विक्रेताओं से कय	श्री अनुप (सेवादार) द्वारा अग्रिम ली गई ₹1500 से मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं का ₹1503 में कय किया गया था, जिसमें ₹3 का भुगतान उन्हें बाद में किया गया था। (1500+3)	140 तथा 145	6/14	1503
नागर मल एंड सन्स, सोलन।	ब्रश आदि	142	6/14	63
मैसर्ज विश्व करमा फर्नीचर सोलन।	टेबल	144	6/14	1950
मैसर्ज आल टाइम एजेन्सी, सोलन।	पेंट का सामान	144	6/14	49980
यथोपरि	यथोपरि	144	6/14	49050
कुल योग			कुल योग	3,44,137

(ख) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करवाए जाने वाले-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अभियानकारों द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। इससे यह प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास द्वारा नियमानुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया ही नहीं जा रहा है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त रेगुलेशन विभाग) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए (3) 5/2005 शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम 140 तथा 141 में दिए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक वर्ष में प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में

Information supplied under RTI Act is:

17

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: Not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171002

न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारण (disposal) किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ-2 तथा इस बारे आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विभिन्न रजिस्ट्रों को Inventory Register में दर्ज न किये जाने बारे—

मन्दिर न्यास के विभिन्न रजिस्ट्रों की पड़ताल करने पर पाया गया किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है, ताकि मन्दिर न्यास में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्ट्रों की सत्यता प्रमाणिक की जा सके तथा मन्दिर न्यास में प्रयोग में लाये जा रहे सभी रजिस्ट्रों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः मन्दिर न्यास की सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टॉक रजिस्ट्रों तथा अन्य विविध रजिस्ट्रों को Inventory Register में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) चल व अचल सम्पत्ति के अभिलेख बारे—

मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक मन्दिर न्यास की चल अचल से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 मन्दिर न्यास की चल अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण तैयार करके तथा सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ङ) अग्रिम रजिस्टर तथा कंटीजेंट व्यय रजिस्टर का रख-रखाव न करना—

मन्दिर न्यास द्वारा अग्रिम रजिस्टर (advance register) तथा कंटीजेंट व्यय रजिस्टर (Contingent expenditure register) का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। अतः इन रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना आरम्भ किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(च) दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर न किये जाने बारे—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर नहीं किया जा रहा है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की पैरा संख्या 18 बारे भी इस अनियमितता बारे आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु अभी तक इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के

(260)

साथ-2 भविष्य में दैनिक भोगी कर्मचारियों का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 लघु आपत्ति विवरणिका- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 निष्कर्ष- लेखों में रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा विभिन्न वस्तुओं के क्रय से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाया जाना भी अपेक्षित है।

16 JUL 2015

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

4052 - 4056

पृष्ठांकनसंख्या-फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)295/12खण्ड-1दिनांक 16.07.15 शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत-1. तहसीलदार एवं मन्दिर अधिकारी, माँ शूलिनी मन्दिर ट्रस्ट सोलन, जिला सोलन, (हि0प्र)
को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को भेजे।
2. उपायुक्त सोलन, जिला सोलन हि0प्र0
3. विशेष सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति) विभाग हि0प्र0 सरकार शिमला-2
4. निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला-9
5. श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

16 JUL 2015

Information supplied under RTI Act, 2005

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: Not

19

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P.- Shimla-171009.

(24)

परिशिष्ट "क"

अवधि 5.10.05 से 31.12.11 - पैरा संख्या 1 "घ"

क्रम संख्या	पैरा संख्या		टिप्पणी
1	3 (क)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
2	3 (ख) (i), (ii), (iii), (iv)	अनिर्णीत	
3	4 (क), (ख), (ग)	अनिर्णीत	
4	5	अनिर्णीत	
5	6 (क), (ख)	अनिर्णीत	
6	7 (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) (i), (ii), (ज), (i), (ii),	अनिर्णीत	
7	8	अनिर्णीत	
8	9	अनिर्णीत	
9	10	अनिर्णीत	
10	11 (क), (ख)	अनिर्णीत	
11	12 (क), (ख)	अनिर्णीत	
12	13	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012-14 से सम्बन्धित अपेक्षित प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)
13	14	अनिर्णीत	
14	15	अनिर्णीत	
15	16	अनिर्णीत	
16	17	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रतिवेदन के दृष्टगत पैरा संख्या)
17	18	अनिर्णीत	
18	19	अनिर्णीत	

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar 20

Whether BPL or not : not


PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009

(5)

मरिश्वाट 'र' 27

(सैर स्टैंड 4)

माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन

के लेखों की अवधि 01/2012 से 12/2014 तक की विनियम स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	व्याज से आय (सावधि खाते + बचत खाते) (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
01/01/12 से 31/12/12	1,40,83,136.00	45,32,705.00	14,21,734.00 (13,38,390.00) 83,344.00	2,00,37,575.00	50,47,806.00	1,49,89,769.00
01/01/13 से 31/12/13	1,49,89,769.00	38,82,551.00	14,20,451.00 (12,70,516 + 1,49,935)	2,02,97,771.00	12,53,869.00	1,90,43,902.00
01/01/14 से 31/12/14	1,90,43,902.00	52,71,213.00	18,32,207.00 (17,48,787.00 + 83,420)	2,61,47,322.00	18,59,673.00	2,42,87,649.00

दिनांक 31/12/14 को विनियम स्थिति के अनुसार शेष		2,42,87,649.00 (1)
दिनांक 31/12/14 को रोकड बही तथा बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष	17,03,694.00-- (2)	
दिनांक 31/12/14 को सावधि खातों में जमा राशि	2,25,83,361.00-- (3)	
दिनांक 31/12/14 को रोकड बही के अनुसार शेष रोकड (Cash in hand)	594.00-- (4)	
दिनांक 31/12/14 को रोकड बही बैंक (बचत खाते) तथा सावधि जमा के अनुसार शेष (2+3+4)		2,42,87,649.00 (5)
दिनांक 31/12/14 को विनियम स्थिति के अनुसार शेष एवं रोकड बही बैंक (बचत खाते) तथा सावधि जमा के शेष में अंतर (1-5)		शून्य

Telco
Shri Sankar Singh Mahila Mandir
Solan (H.P.) Distt. Solan (H.P.)

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171001

Month wise receipt & payment statement (Year 2012)

माह	आय	दयय
01/12	269646.00	75301.00
02/12	304898.00	1065947.00 (Includes advance of Rs. 10,00,000/- paid to Xen PWD, Solan for building work)
03/12	309128.00	62493.00
04/12	540089.00	68675.00
05/12	323794.00	32,63,399.00 (Includes advance of Rs. 32,00,800/- paid to Xen PWD, Solan for building work)
06/12	331606.00	75469.00
07/12	715064.00	98209.00
08/12	425517.00	76560.00
09/12	11906.00	39820.00
10/12	400157.00	78000.00
11/12	570356.00	52283.00
12/12	330544.00	91650.00
योग	45,32,705.00	50,47,806.00
ब्याज:- सावधि खातों पर :-13,38,390.00 बचत खातों पर :-83,344.00 [24,016.00(03/12)+59,328.00(09/12)] कुल ब्याज=(13,38,390+83,344)	14,21,734.00	-----

Tehsil - Solan Temple Officer
Shri Shri Solan Mandir
Solan (H.P.)

- 22 -

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

PIO-cum-Additional Director
Local Audit Department
H.P., Shimla-171001

Month wise receipt & payment statement (Year 2013)

(264)

(29)

माह	आय	व्यय
01/13	181812.00	133254.00
02/13	9009.00	131423.00
03/13	294995.00	49708.00
04/13	679374.00	102112.00
05/13	281539.00	60409.00
06/13	918014.00	67818.00
07/13	292654.00	115473.00
08/13	242952.00	195783.00
09/13	284277.00	94392.00
10/13	428809.00	187946.00
11/13	268907.00	56715.00
12/13	5209.00	58836.00
योग	38,87,551.00	12,53,869.00
व्याज:-	14,20,451.00	-----
सावधि खातों :-12,70,516.00		
बचत खातों :- 1,49,935.00		
[65,106.00(03/13)+84,829.00(09/13)]		
कुल व्याज=(12,70,516+1,49,935)		

Tehsil Officer
Shri. [Signature]
Solari (H.P.) Distt. Solari (H.P.)
Cn

-23-

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not.

PIO-cum-Additional Director
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009. [Signature]

Month wise receipt & payment statement (Year 2014)

माह	आय	व्यय
01/14	313683.00	70374.00
02/14	512828.00	72664.00
03/14	268502.00	119376.00
04/14	604391.00	209481.00
05/14	296736.00	191908.00
06/14	1008717.00	421799.00
07/14	305401.00	217460.00
08/14	633803.00	85404.00
09/14	231434.00	89010.00
10/14	381635.00	73068.00
11/14	355993.00	231791.00
12/14	358090.00	77338.00
योग	52,71,213.00 (1)	18,59,673.00
व्याज:-	18,32,207.00 (2)	-----
सावधि खातों :-17,48,787.00		
बचत खातों :- 83,420.00		
[56,100.00(03/14)+27,320.00(09/14)]		
कुल व्याज= (17,48,787+83,420)		

Tehsildar-cum-Temple Officer
Shri Shanta Lal
Solani (H.P.)

-24-

PIO-cum-Additional Director
Local Audit Department
H.P. Shanta Lal

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

Bank Reconciliation Statement of Maa Shoolini Temple Trust as on 31/12/2014

Name of bank	a/c no.	Bank Balance as per cash book as on 31/12/14	Balance as per pass book as on 31/12/14.	Difference in balances of cash book & bank.	Reconciliation Statement
Saving account (Bhagat Urban Co.op. Bank LTD, solan)	001001014477	17,03,694.00	17,03,694.00	NIL	-----

Tehsildar cum Temple Officer
Shri Shoolini Mata Mandir
Solan (H.P.), Distt. Solan (H.P.)
22

- 25 -

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

PIO-cum-Additional Director
Local Audit Department
H.P., Shimla-171001

(267) (31)
 - 4R/316E - "ख-2" - 4/1/1710/1-6

Balance in saving bank account & FDRs of Maa Shoolini Temple Trust as on 31/12/2014

S.no.	Head of account	Account No.	Date of investment	Amount invested (Rs.)	Balance (Rs.)
1.	Saving account (Bhagat Urban Co.op. Bank LTD, solan)	001001014447			17,03,694.00(a)
2.	Cash in hand				594.00(b)
3.	FDR (Bhagat Urban Co.op. Bank LTD, solan)	86188	21/04/14	20,00,000.00	
4.	-do-	141665	15/06/14	16,93,322.00	
5.	-do-	134931	07/08/14	66,37,928.00	
6.	-do-	134931	05/08/14	28,83,153.00	
7.	-do-	86188	07/08/14	16,51,685.00	
8.	-do-	86188	07/08/14	22,02,246.00	
9.	-do-	134931	20/08/14	40,15,027.00	
10.	-do-	134931	20/08/14	15,00,000.00	2,25,83,361.00(c)
			(Sum of S.No. 3 to 10)=		
	Total				(a+b+c)=2,42,87,649.00

Yehsil/dan-cum-Temple Officer
 Shri Shoolini Temple Mandir
 Solan (H.P.)

- 26 -

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not.

PIO-cum-Additional Director,
 Local Audit Department,
 H.P., Shimla-171001

माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन के सोने व चांदी का विवरण

सोना

	मात्रा (ग्राम)	विवरण
प्रारम्भिक शेष (01/01/12)	475.12✓	सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 4 के अनुसार ।
श्रद्धालुओं / भक्तों द्वारा चढ़ाई गई ।	(+)14.400✓	सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 4 के अनुसार ।
क्रय की गई मात्रा	(+)20.450✓	-----
कुल योग	509.97✓	-----
माता के चांदी के 9 छत्रों के निर्माण (पोलिश) हेतु जारी की गई सोने की मात्रा + .	(-)34.850✓	सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार ।
दिनांक 31/12/14 को अंतिम शेष	475.12✓	जिला राजकोष, सोलन में जमा ।

चांदी

	मात्रा (किलोग्राम)	विवरण
प्रारम्भिक शेष (01/01/12)	29.903.600✓	जिला राजकोष, सोलन में जमा ।
श्रद्धालुओं / भक्तों द्वारा चढ़ाई गई ।	9.545.000✓	सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 4 के अनुसार ।
कुल योग	39.448.600✓	-----
माता के चांदी के 9 छत्रों के निर्माण हेतु, दरबार के निर्माण हेतु तथा चोम्बे के निर्माण हेतु जारी की गई की मात्रा ।	(-)9.545.000✓	माता के चांदी के 9 छत्रों के निर्माण हेतु जारी की गई चांदी की मात्रा = 3.663 किलोग्राम, माता के दरबार के निर्माण हेतु जारी की गई चांदी की मात्रा = 5.492 किलोग्राम तथा माता के चोम्बे के निर्माण हेतु दिनांक 03/06/14 को जारी की गई चांदी की मात्रा = 0.390 किलोग्राम ।
दिनांक 31/12/14 को अंतिम शेष	29.903.600✓	जिला राजकोष, सोलन में जमा ।

Information supplied under RTI Act '05

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

PIO-cum-Additional
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171002.

Tehsildar-cum-Deputy Officer
Shri. Shanti Lal Mishra
Solan (H.P.) Dist. Shimla P.D.

-27-

श्री श्रमिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन, हि. प्र. का
दिनांक 31/12/14 को सोने एवं चांदी के अंतिम शेष का विवरण

सोना	475.12 (ग्राम)	जिला राजकोष, सोलन में जमा। (सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार)।
चांदी	29.903.600 (किलोग्राम)	जिला राजकोष, सोलन में जमा। (सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार)।
सोने के पोलिश वाले माता के चांदी के 9 छत्रों का भार	3.684 (किलोग्राम) [2.053.500 कि.ग्राम. (8 छोटे छत्र) + 1.630.500 कि.ग्राम. (1 बड़ा छत्र)]	यह छत्र माता के मन्दिर में हैं। (सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार)।
माता के दरबार के निर्माण हेतु दिनांक 11/07/14 को चांदी की मात्रा जोकि कारीगर को जारी की गई थी तथा उसके पास है।	5.492 (किलोग्राम)	जारी की गई चांदी यह मात्रा माता के दरबार के निर्माण हेतु कारीगर के पास है तथा उस से अभी वापिस ली जानी है। (सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 6 के अनुसार)।
माता के चोम्ये के निर्माण हेतु दिनांक 03/06/14 को चांदी की मात्रा जोकि कारीगर को जारी की गई थी तथा उसके पास है।	0.390 (किलोग्राम)	जारी की गई चांदी यह मात्रा माता के चोम्ये के निर्माण हेतु कारीगर के पास है तथा उस से अभी वापिस ली जानी है। (सोने चांदी के स्टोक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 6 के अनुसार)।

Tehsil Officer,
Solan District, Himachal Pradesh
Solan (H.P.)

45 50(A) -28-

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171009.

Detail of Daily Paid three security and one sweepers
One Accountant, Solan working in Bhoolini Mata Temple
Solan and Home Guards Paid by the S.M.T.T. Solan for
Years 2012, 2013 and 2014.

Sl. No.	Period	Temple Officer Rs.	Accountant Rs.	Home Guards Rs.
1.	2012	191430-00	—	159165-00
2.	2013	219000-00	—	181405-00
3.	2014	261600-00	60000-00	206688-00
Total:		672030-00	60000-00	547258-00

Tensu Temple Officer
Shri Shri Mata Mandir
Solan (H.P.), Dist. Solan (H.P.)

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P., Shimla-171001

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not

पत्रांक - "CU-2"

4/11 4/12/11

40 12 (रत)

Temple Office Solan

Subject:- Information regarding appointment of staff in Shoolini Mata Temple, Solan during the audit period i.e. 2012 to 2014.

In the above noted subject it is to inform you that during the audit period i.e. 2012 to 2014, Sh. Chander Shekher Accountant was appointed on 01-02-2014 in the Shoolini Mata Temple, Solan. Rs. 500/- Per Month (fixed) and increased to Rs. 600/- P.M. w.e.f. 01-08-2014.

Tehsildar-cum-
Temple Officer, Solan.

U.O.No.SLN/SMT/(audit)/15-30

Dated: 24-3-2015

The Section Officer,
Local Audit camp Solan.

- 30 -

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : not

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P. Shimla

मालिक के काम के मोल

मालिक	20 मई से 16 जून तक - 14 1/2 दिन
कुल	20 मई से 19 जून तक - 35 "
पट्टा	20 मई से 19 जून तक - 13 1/2 "
अभिलेख	20 मई से 19 जून तक - 33 "
अभिलेख	20 मई से 16 जून तक - 21 "
अभिलेख	20 मई से 16 जून तक - 5 1/2 "
मालिक	20 मई से 19 जून तक - 10 "
उभय	20 मई से 16 जून तक - 10 "
अभिलेख	20 मई से 16 जून तक - 5 "
अभिलेख	20 मई से 19 जून तक - 2

$153 \frac{1}{2} \times 450 = 69075$

मालिक	20 मई से 19 जून तक - 32
अभिलेख	20 मई से 16 जून तक - 24
अभिलेख	20 मई से 16 जून तक - 9 1/2

$65 \frac{1}{2} \times 350 = 22925$
92000

Information supplied under RTI Act

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Author BPL or not: not

IO-cum-Additional Director
 Local Audit Department,
 P.O. Shimla-171009

20/08/2014
 Modar, Temple, Golan (HP)
 20/8/2014 to 19/8/2014
 Sh. Shailender Singh S/O.
 Sh. Ram Ardhvijay
 Contractor, Painting
 Golan (HP)
 20/8/2014
 Sh. Shailender Singh, Contractor
 Sh. Ram Ardhvijay, Golan

24/8/2014

2020200

273

Mob. 98820-07121

**SHAILENDER SINGH**

Contractor

C/o Sikka Niwas, Shiliy Road Solan(H.P.)

No. 43...

Date 24/6/14

21 मई 16 को हिंदू मठ में मंदिर का निर्माण का काम शुरू
 किया गया है। इसका अनुमानित खर्च 47000/- है।

47000/-

+ Parcel

Sanctioned by Board 47000/-
 Rs. Forty seven thousand only

Tehsildar cum Temple Officer
 Shri Shoolini Mata Mandir
 Solan (H.P.) Distt. Solan (H.P.)

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not : Not.

Total

47000/-

PIO-cum-Additional Director
 Local Audit Department,
 H.P., Shimla-171005, etc

- 32 -

Signature



Mob. 98820-07121

SHAILENDER SINGH

Contractor

C/o Sikka Niwas, Shilly Road Solan(H.P.)

S. No. 112

Date: 20/6/14

श्री श्रीमं गुरुभ्यो नमः मेरा पुराना हवाला नंबर को (पाप)				
Total Bill: 45000/- Advance Paid: 40000/- Balance Payable: 5000/- (Remainder of 5000/- in five thousand only)				45000/-
Shailender Singh - Temple Officer Shri Shoolini Mata Mandir Solan (H.P.) Dist. Solan (H.P.)				
				Total
				45000/-

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not

PIO-cum-Additional Director
 Local Audit Department
 H.P., Shimla-171005

Signature



Receipt.

(275)

44

(297)

Received in pursuance of C.No. 080156 Dated 21/6/2014 of
BNCB, Solan (HP)
Sh. Shailender Singh S/O Ban Pr.

5000-00

11 Ram Andhigya, (Contractor)
of Painting, Solan (HP)
Labour Charges of Painting in
Shakti Mata Temple,
Solan (HP) 20/5/2014 to
19-6-2014 - CB. Five thousand only.



from Temple Officer,
Shakti Mata
Temple, Solan (HP) S/O

Shailender Singh (Contractor)
Sh. Ram Andhigya, Solan (HP)

Tehsildar-cum-Temple Officer
Shri Shoolini Mata Mandir
Solan (H.P.) Distt. Solan (H.P.)

Receipt.

C.No. 080187 Dated 24-6-2014 of BNCB, Solan
Ban Pr 117000-00

Received in pursuance of
from Temple Officer,
Shakti Mata Temple,
Solan (HP) 1-6-2014 to 19/6/2014
of Painting work of Shakti
Mata Temple, Solan (HP)
out of 20/5/2014 to 19/6/2014.



24/6/2014

Sh. Shailender Singh S/O

Sh. Ram Andhigya
Contractor of Painting,
Solan (HP) S/O
CB. Fourty seven thousand only

Shailender Singh (Contractor)
Sh. Ram Andhigya, Solan (HP)

Tehsildar-cum-Temple Officer
Shri Shoolini Mata Mandir
Solan (H.P.) Distt. Solan (H.P.)

- 34 -

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: not

PIO-cum-Additional Director
Local Audit Department
H.P., Shimla-171001



Receipt.

(276)

(45)

New Date Preparation Charge (299)

Received a sum of Rs. 10436/- (Rupees Eleven thousand four hundred thirty six only) on account of labour charge.

Sh. Rup Lal 8/0

11 Ugarin Dandup, Caperla

B/O. Mangla, Distt. Kinnaur (H.P.)

10-11-12 6/2/2014 to 23/4/2014

10436-00

P.B. Payable = 7436-00

21/5/2014 to 21/6/2014: 27200-00

32 @ Rs 850/- per day = 1000-00

Two fair @ Rs 500/- PF = 1000-00

Charges of Woodley = 6300-00

Thermos of 210 @ = 6300-00

P.B. 30% per piece =

Total Payable: 41936-00

Advance Paid: 31500-00

Balance Payable: 10436-00

Rs. Ten thousand four hundred thirty six only)

Shri Shobini Water Board
Solan (H.P.) Distt. Solan (H.P.)

8.11.14 1-35-

Information supplied under RTI Act to:

Name of the applicant: Sh. Deepak Kumar

Whether BPL or not: Not.

PIO-cum-Additional Director,
Local Audit Department,
H.P. Shimla-171001